

ग्लोबल ट्रेंड रपिपोर्ट ऑन फोरसूड डसिप्लेसमेंट इन 2021

प्रलिमिंस के लयि:

यूएनएचसीआर, आंतरकि वसिथापन, 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन ।

मेन्स के लयि:

क्लाइमेंट रफियूजी से जुड़ी चुनौतियाँ और समाधान, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) द्वारा वर्ष 2022 की वार्षिक ग्लोबल ट्रेंड रपिपोर्ट (Global Trends Report) प्रकाशित की गई है ।

- 20 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दविस के रूप में नामति कयि गया है । विश्व शरणार्थी दविस 2022 की थीम “जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है” (Whoever, whatever, whenever Everyone has got a right to seek safety) है ।

ग्लोबल ट्रेंड रपिपोर्ट:

- यह प्रमुख सांख्यिकीय प्रवृत्तियों और शरणार्थियों की नवीनतम संख्या, शरण चाहने वालों, आंतरकि रूप से वसिथापति और दुनिया भर में राज्यवहिीन व्यक्तियों के साथ-साथ उन लोगों की संख्या को प्रस्तुत करता है जो अपने देशों या मूल क्षेत्रों में लौट आए हैं ।
- रपिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष में एक बार होता है जो पछिले पछिले वर्ष की स्थिति को दर्शाती है ।
- आँकड़ें सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और UNHCR द्वारा रपिपोर्ट कयि गए आँकड़ों पर आधारति हैं ।

रपिपोर्ट की मुख्य वशिषताएँ:

- वैश्वकि परदृश्य:**
 - पछिले वर्ष हसिा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानसितान तक अनय आपात स्थितियों के कारण वैश्वकि स्तर पर 100 मिलियन लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लयि मज़बूर होना पड़ा था ।
 - आपदाओं के कारण विश्व स्तर पर 23.7 मिलियन नए आंतरकि वसिथापन हुए (ये संघर्ष और हसिा के कारण आंतरकि रूप से वसिथापति लोगों के अतरिकित हैं) । यह पछिले वर्ष की तुलना में सात मिलियन या 23% की कमी को दर्शाता है ।
 - वर्ष 2021 में आपदाओं के संदर्भ में सबसे अधिक वसिथापन चीन (6.0 मिलियन), फिलीपींस (5.7 मिलियन) और भारत (4.9 मिलियन) में हुआ ।
 - अधिकांश आंतरकि रूप से वसिथापति व्यक्त अपने गृह क्षेत्रों में लौट आए, लेकिन दुनिया भर में 5.9 मिलियन लोग आपदाओं के कारण वर्ष के अंत में वसिथापति हुए ।
 - अपने घरों से भागने के लयि मज़बूर लोगों की संख्या पछिले एक दशक से हर साल बढ़ी है और अपने उच्चतम स्तर पर है, इस प्रवृत्ति को केवल शांति निर्माण की दशिा में एक नए, ठोस प्रयास से ही बदला जा सकता है ।
- भारत:**
 - वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण भारत में लगभग 50 लाख लोग आंतरकि रूप से वसिथापति हुए थे ।

आंतरकि वसिथापन:

- आंतरकि वसिथापन (अर्थ):**
 - आंतरकि वसिथापन उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जिन्हें अपनेघर छोड़ने के लयि मज़बूर कयिा गया है लेकिन उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है ।

- **वसिथापन के कारक:** परतयेक वर्ष लाखों लोग **संघर्ष, हिसा, वकिसा परयोजनाओं, आपदाओं** और **जलवायु परविरतन** के संदर्भ में अपने घरों या नविसा स्थानों को छोड़कर अपने देशों की सीमाओं के भीतर वसिथापति हो जाते हैं।
- **घटक: आंतरकि वसिथापन दो घटकों पर आधारति है:**
 - यदि लोगों का वसिथापन **जबरदसती या अनैच्छकि** है (उन्हें आर्थकि और अन्य स्वैच्छकि प्रवासियों से अलग करने हेतु);
 - यदि वयकता अंतरराष्टरीय स्तर पर मानयता प्राप्त राज्य की सीमाओं के भीतर रहता है (उन्हें शरणार्थियों से अलग करने हेतु)।
- **शरणार्थी से अंतर: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन** के अनुसार, "शरणार्थी" एक ऐसा वयकता है जसि पर अत्याचार कयिा गया है और अपने मूल देश को छोड़ने के लयि मज़बूर कयिा गया है।
 - शरणार्थी माने जाने की एक पूरव शरत यह है कविह वयकता एक **अंतरराष्टरीय सीमा पार** करता हो।
 - शरणार्थियों के वपिरित, आंतरकि रूप से वसिथापति लोग कसिी **अंतरराष्टरीय सम्मेलन का वषिय नहीं** हैं।
 - अंतरराष्टरीय स्तर पर, आंतरकि रूप से वसिथापति वयकतियों की सुरक्षा और सहायता पर वैश्वकि नेतृत्व के रूप में कसिी एक **एजेंसी या संगठन को नामति नहीं** कयिा गया है।
 - हालाँकि आंतरकि वसिथापन पर **संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सदिधांत** हैं।
- **आंतरकि रूप से वसिथापति वयकतियों (IDP) द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:** IDP को **शारीकि शोषण, यौन या लगि आधारति हिसा** का खतरा बना रहता है और वे **परवार के सदस्यों से अलग होने** का जोखमि उठाते हैं।
 - वे प्राय: पर्याप्त आशर्य, भोजन और स्वास्थय सेवाओं से वंचति रहते हैं और अक्सर अपनी संपत्ति, भूमिया आजीवकि तक अपनी सथापति पहुँच को खो देते हैं।

आंतरकि वसिथापन से जुडी चुनौतियाँ:

- **उचति और आमतौर पर स्वीकृत आँकड़ों का अभाव:** जलवायु परविरतन के संदर्भ में वसिथापन से संबंधति आँकड़ों के संदर्भ में, सीधे शब्दों में कहें तो जो परभाषति नहीं है, उसकी मात्रा नरिधारति नहीं की जा सकती है, और जनिकी मात्रा नरिधारति नहीं की जा सकती है, उसकी भवषियवाणी नहीं की जा सकती है।
- **जलवायु शरणार्थियों के लयि कानूनी स्थतिकि अभाव:** कानूनी दृष्टकिेण से यूनएचसीआर "जलवायु शरणार्थी" शब्द का समर्थन नहीं करता है जो अंतरराष्टरीय कानून में मौजूद नहीं है। यह आकलन करना भी बहुत मुश्कलि है ककि्या कोई वयकता जो जलवायु परविरतन के संदर्भ में वसिथापति हुआ है। वैसे भी वसिथापति हो जाते अगर कोई जलवायु परविरतन नहीं होता।
- **ऐतहिसकि मसाल का अभाव:** दूसरे कई स्थतिकियों के लयि ऐतहिसकि मसाल की कमी जो मानव से संबंधति जलवायु परविरतन की प्रगति के रूप में उत्पन्न होगी, जसिका मानव गतशीलता पर प्रभाव पहले कभी नहीं देखा गया है। इसका मतलब यह है कयिह स्पष्ट नहीं है कयि बदलती जलवायु भवषिय में लोगों के नरिणियों और व्यवहार को कैसे प्रभावति करेगी।
- **जलवायु परविरतन और वसिथापन के बीच गैर-मौजूद संबंध:** अंत में, जलवायु परविरतन और वसिथापन के बीच की कडी पूरी तरह से मापने योग्य नहीं है और इस बात पर कोई सहमति नहीं है कयिह एक सीधा कारण है, उदाहरण के लयि केवल सीमति जानकारी उपलब्ध है। अन्य कारण भी हैं- बढ़ती गरीबी, राजनीतिक अस्थरिता और सशस्त्र संघर्ष पर जलवायु परविरतन का प्रभाव आदी।

आगे की राह

- **स्वदेश में वापसी:** अधकिंश शरणार्थियों के लयि एक स्वतंत्र और सूचति वकिल्प के आधार पर अपने देश लौटना शरणार्थियों के रूप में उनकी अस्थायी स्थतिकि को समाप्त करने का एक उचति समाधान होगा। इसके लयि राजनीतिक स्थरिता और आर्थकि अवसर यह सुनिश्चित करने के लयि आवश्यक है कयि पर्यावरण प्रभावति शरणार्थियों सुरक्षा और सम्मान के साथ पुन: एकीकृत करने की अनुमति मिले। साथ ही यह सुनिश्चित करना कयि वापसी टकिाऊ है।
- **पुनरवास:** जबकि कई देशों ने मेज़बान देशों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए, पुनरवास के लयि अपनी प्रतबिद्धता का संकेत दयिा है, हालाँकि राज्यों द्वारा प्रस्तावति स्थानों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के कारण यह कम शरणार्थियों के लयि एक वकिल्प प्रदान करता है। पुनरवास एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण और समाधान है जो UNHCR के कानून अनुसार अनविर्य एक मुख्य गतिविधि है, जो कुछ सबसे कमजोर शरणार्थियों (जनिहें वशिषिट या तत्काल जोखमि का सामना करना पड़ सकता है) की रक्षा करने में मदद करता है।
- **स्थानीय एकीकरण:** सुरक्षति रूप से लौटने या फरि से बसने की संभावना के अभाव में कुछ देशों में शरणार्थियों के लयि अपने देश में लंबे समय तक या स्थायी रूप से रहने के लयि रास्ते उपलब्ध हैं। स्थानीय एकीकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कयि शरणार्थी इन देशों में नए जीवन की शुरुआत कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR):

- **परचिय:**
 - शरणार्थियों के लयि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) का कार्यालय वर्ष 1950 में द्वितीय वशि्व युद्ध के बाद **उन्नाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लयि बनाया गया था, जो अपने घर छोड़कर भाग गए थे या खो गए थे।**
 - **1954 में UNHCR ने यूरोप में अपने अभूतपूर्व कार्य के लयि नोबेल शांति पुरस्कार जीता।** लेकिन हमें अपनी अगली बडी आपात स्थतिकि सामना करने में ज़यादा समय नहीं लगा।
 - 1960 के दशक के दौरान अफ्रीका के उपनविशावाद ने इस महाद्वीप के कई शरणार्थी संकटों में से एक था। इसने अगले दो दशकों में एशिया और लैटनि अमेरिका में लोगों को प्रवास हेतु बाध्य कयिा।
 - 1981 में शरणार्थियों के लयि वशि्वव्यापी सहायता करने हेतु इसे **दूसरा नोबेल शांति पुरस्कार मलिा।**
- **1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल:**
 - वे प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं जो इसके काम का आधार बनाते हैं। 149 राज्य पार्टियों में से कसिी एक या दोनों के साथ वे 'शरणार्थी' शब्द

को परभाषित करते हैं और शरणार्थियों के अधिकारों के साथ-साथ उनकी रक्षा के लिये राज्यों के कानूनी दायित्वों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

- मूल सद्भिदांत गैर-प्रतशोधन है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कशरणास्थी को उस देश में वापस नहीं कया जाना चाहये जहाँ उन्हें अपने जीवन या स्वतंत्रता के लये गंभीर खतरे का सामना करना पडता है। इसे अब प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का नयिम माना जाता है।
- UNHCR 1951 के सम्मेलन और इसके 1967 प्रोटोकॉल के 'अभभावक' के रूप में कार्य करता है। कानून के अनुसार, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कवे यह सुनिश्चित करने में हमारे साथ सहयोग करें कशरणास्थियों के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण कया जाता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/global-trends-report-on-forced-displacement-in-2021>

